

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्वर

प्रार्थी-श्री शिवसिंह

बनाम


विपक्षी श्री नरपतसिंह व अन्य

कस्म मुकदमा :-प्रा.प. (अन्तर्गत धारा 212 RTA)

प्रकरण संख्या :-39 / 2025

	कार्यवाही विवरण जी.सी.एम.एस. नम्बर-2025 / 54	
11-03-2026	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रकरण के प्रार्थी द्वारा मूल वाद धारा 88,188 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था, जिसका अंतिम निर्णय आज दिनांक 11-03-2026 को पारित किया जा चुका है। उक्त वाद के साथ प्रार्थी द्वारा धारा 212 के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।</p> <p>चूंकि मूल वाद का अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका है तथा वाद अब लंबित नहीं है, अतः अंतरिम राहत हेतु प्रस्तुत धारा 212 का प्रार्थना पत्र अपने आप में निरर्थक हो गया है। अतः धारा 212 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, मूल वाद के निस्तारण के फलस्वरूप, निरर्थक मानते हुए निस्तारित किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>आदेश आज दिनांक 11-03-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



  
(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलक्टर सलूम्वर  
जिला सलूम्वर